

अद्भुत समाचार

वर्ष - 15

अंक-44

RNI-No.: UPHIN/2011/43806

लखनऊ, सोमवार 12 जनवरी, 2026

प्रातः कालीन संस्करण

(हिन्दी दैनिक)

पृष्ठ-4

मूल्य 1 रुपया

विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने संगम स्नान दिया सियासी संदेश, हिंदुत्व के एजेंडे को धार

प्रयागराज जंतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेले के पावन अवसर पर अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बतौर सीएम दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब योगी ने माघ मेला के दौरान संगम स्नान किया।

प्रयागराज (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेले के पावन अवसर पर अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बतौर सीएम दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब योगी ने माघ मेला



के दौरान संगम स्नान किया। सीएम योगी द्वारा माघ मेले में किए गए संगम स्नान को वर्ष 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को धार देने वाला बताया जा रहा है। वर्ष

एक शुभ संकेत मान रहे थे। कल के स्नान के दौरान सीएम योगी के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे तो आश्रम में कई संतों ने मुख्यमंत्री को विशेष संबोधनों से नवाजा। कुछ संतों ने 'युवा हिंदू सम्राट' तो कुछ ने 'हिंदू हृदय सम्राट' कहकर सीएम को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बाजपेयी ने कहा कि संतों के इन संबोधनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के बाद भाजपा अपने सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ एक प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रपति के रूप में मुद्रित करेगी। यह एक बड़े प्रतीक और संकेत के रूप में मजबूती से पेश कर सकती है।

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम स्नान को वर्ष 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को धार देने वाला बताया जा रहा है। वर्ष

हिजाब पर फिर गरमाई सियासत

पीएम पद को लेकर ओवैसी-हिमंत सरमा में तीखी जंग

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली प्रधानमंत्री पद के बयान पर राजनीतिक बहस ठिड़ गई है, जिस पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। इस जुबानी जंग में कांग्रेस और बीजेपी भी शामिल हो गए हैं, जिससे यह विवाद संवैधानिक अधिकारों और सांप्रदायिक राजनीति के इर्द-गिर्द घूम रहा है।



एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने इच्छा जताई कि वे एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस

शुरू हो गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में केवल एक खास धर्म के व्यक्ति को ही पीएम बनने की अनुमति है, लेकिन बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान भारत के हर नागरिक को यह मौका देता है। उन्होंने कहा, हमेशा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने

वाली बेटे इस देश की प्रधानमंत्री बने। हिमंत बिस्वा सरमा का जवाब ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के सीएम ने कहा कि भले ही संविधान किसी को भी पीएम बनने से नहीं रोकता, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता है। उन्होंने बिस्वा सरमा को भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही बनेगा।

ओवैसी का पलटवार रविवार को ओवैसी ने सीएम सरमा के बयान को खंडित करने वाला बताया और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पीएम केवल हिंदू ही हो सकता है। इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरमा की आलोचना की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन

सिंह का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि वे एक सिख थे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मसूद ने कहा कि संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा, यह धर्म तय नहीं कर सकता।

बीजेपी ने ओवैसी को घेरा और कहा कि अन्ध नेताओं ने ओवैसी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि ओवैसी जानबूझकर हिजाब का मुद्दा उठाकर तनाव बढ़ाना चाहते हैं।

बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तर्क दिया कि दुनिया भर में कई मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं पहना। उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी कि वे पहले अपनी पार्टी में किसी हिजाब पहनने वाली महिला को बड़े पद पर आगे बढ़ाएं।

पब्लिक में नहीं मिल सकता, होटल बुलाकर महिला का रेप करने वाले कांग्रेस के पूर्व पूर्व विधायक राहुल मामकूटथिल गिरफ्तार



नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के पलक्कड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मामकूटथिल को रेप और गंभीर शोषण के आरोपों के बाद रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पलक्कड़ के एक होटल से रात करीब 12:30 बजे हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब कनाडा में रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की तीसरी

शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत कदम उठाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में रहने वाली महिला ने आरोपों के गंभीर आरोपों की पुष्टि की। पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए राहुल के संपर्क में आई थी। उस समय महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों से जूझ रही थी। महिला का आरोप है कि राहुल ने उसे शादी का झांसा दिया और उस पर अपनी शादी तोड़ने का दबाव डाला। शिकायत में महिला ने राहुल पर

पीएम मोदी बोले- सोमनाथ स्वामिमान पर्व विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, 1000 साल की यात्रा के लिए है



सोमनाथ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ स्वामिमान पर्व करोड़ों-करोड़ भारतीयों की शाश्वत आस्था, साधना और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतिबिंब है और इसका सहभागी बनना उनके जीवन का अविस्मरणीय और अमूल्य क्षण है। वह यहां आयोजित सोमनाथ स्वामिमान पर्व के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वामिमान पर्व विध्वंस नहीं बल्कि 1000 साल की यात्रा का पर्व है। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए। उसी तरह विदेश आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिशें होती रहीं लेकिन न तो सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को मिटाने की कई कोशिशें हुईं। देश के आजाद होने के बाद भी सोमनाथ पर आक्रमण को आर्थिक लूट बताया गया, ऐसा होता तो फिर पहले हमले के बाद इस नष्ट करने की कोशिश नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरदार पटेल ने जब पुनर्निर्माण का संकल्प लिया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कि जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यहां आने के लिए योजना बनाई तो उन्हें भी रोका गया। मोदी ने कहा कि एक हजार साल पहले, इसी जगह पर, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने

अपनी आस्था, विश्वास, महादेव के लिए अपना सबकुछ चोखावर कर दिया। उन्होंने कहा कि हजार साल पहले के आतापी सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया, लेकिन आज एक हजार साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है।

मजहबी आततायी इतिहास के पन्नों में सिमट गए तो वही सोमनाथ मंदिर आज भी स्वामिमान से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इतिहास की कुछ घटनाओं का ब्यौर देते हुए कि हमलावर गजनी को लगा था कि उसने सोमनाथ मंदिर के वजूद को मिटा दिया, लेकिन 12 शताब्दी में पुनर्निर्माण हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इसके बाद 14वीं सदी में जूनागढ़ के राजा ने पुनर्निर्माण किया। फिर सुल्तान अहमद शाह ने दुर्साहस किया। उसके बाद सुल्तान महमूद वेगड़ा ने मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। 17वीं और 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश तो अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बना दिया। मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है।

एक्स' ने अपनी गलती स्वीकार की, भारतीय कानूनों के पालन का दिया आश्वासन

नई दिल्ली 11 जनवरी (एजेंसी) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच 'एक्स' को 'ग्रीन एआई' के अश्लील सामग्री मुद्दे पर चेतावनी दिए जाने के बाद इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, 'एक्स' ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगा। साथ ही यह भी कहा है कि भविष्य में यह मंच अश्लील छवियों की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले, सरकार ने 'एक्स' से ग्रीन एआई से जुड़ी अश्लील सामग्री पर की गई विशिष्ट कार्रवाई और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी क्योंकि इस मंच द्वारा दिए जवाब को सरकार ने अपर्याप्त पाया था।

केरल में कन्नड़ माध्यम के विद्यालयों में

मलयालम थोपे जाने का सिद्धरमैया ने विरोध किया

सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि यदि केरल के राज्यपाल प्रस्तावित कानून को सहमति प्रदान करते हैं और यह लागू होता है तो कर्नाटक इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए विवश होगा।



नई दिल्ली (एजेंसी) कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धरमैया ने कन्नड़ माध्यम से विद्यालयों में भी मलयालम को अनिवार्य करने के केरल सरकार के कदम का कड़ा विरोध करते हुए शनिवार को कहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। मंगलूरु नगर के पास पिल्लिकुला निसर्ग में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में सिद्धरमैया ने कहा कि यद्यपि एक राज्य की विधायिका कानून पारित कर

को अनिवार्य करने के केरल सरकार के कदम का कड़ा विरोध करते हुए शनिवार को कहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। मंगलूरु नगर के पास पिल्लिकुला निसर्ग में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में सिद्धरमैया ने कहा कि यद्यपि एक राज्य की विधायिका कानून पारित कर

सकती है, इसे लागू करने में संवैधानिक सुरक्षा और भाषाई विविधता का सम्मान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "केरल सरकार ने एक कानून पारित किया होगा, लेकिन उसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। आप भाषाई अल्पसंख्यकों पर एक जबरदस्ती थोप नहीं सकते। यह स्वीकार्य नहीं है कि अन्य मातृ भाषाएं बोलने वाले लोगों को भाषाई अल्पसंख्यकों के चेतावनी दी कि यदि केरल के राज्यपाल प्रस्तावित कानून को सहमति प्रदान करते हैं और यह लागू होता है तो कर्नाटक इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए विवश होगा।" "यदि यह कानून बनता है तो यह स्थिति हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य करेगी।" केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से भी अपील की जाएगी। "मुख्यमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि भारत का संघीय ढांचा और संवैधानिक रूपरेखा,

भाषाई अल्पसंख्यकों की विशेषकर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा करती है जहां समुदायों ने अपनी और संस्कृति को ऐतिहासिक रूप से संरक्षित रखा है तथा इन सुरक्षा को हटाना करने का कोई भी प्रयास एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां दक्षिण भारत में, विशेषकर भाषाई सीमाओं से सटे राज्यों में, अधिकारों और शिक्षा नीति पर बढ़ते राजनीतिक ध्यान के बीच आई हैं। अन्य प्रशासनिक मामलों पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार उन तीन कानूनों पर स्पष्टीकरण देगी जो वर्तमान में राज्यपाल की सहमति के लिए लंबित हैं। उन्होंने उन विधेयकों का नाम लिए बगैर कहा, "राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। सरकार आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है।"

अदालत के आदेश पर बाराबंकी में वित्तीय घोटाले में 10 लोगों के रिवाफ प्राथमिकी दर्ज

कृष्णा चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी और 25 सितंबर 2025 को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।



बाराबंकी 11 जनवरी (एजेंसी) बाराबंकी जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय के संस्थापक संरक्षक सदस्य कृष्णा चौधरी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रबंध समिति के कुछ अधिकारियों ने फर्जी में अदालत के आदेश पर पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। नगर कोतवाली के प्रमारी निरीक्षक (एसएसओ) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर उमाशंकर वर्मा, धीरेंद्र कुमार, मानव पटेल, मान सिंह, राजेश कुमार, राजीव, अशोक, सुनील, अजय और भागवत हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुकदमा को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

बाग स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय की संस्थापक संरक्षक सदस्य कृष्णा चौधरी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रबंध समिति के कुछ अधिकारियों ने फर्जी में अदालत के आदेश पर पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। नगर कोतवाली के प्रमारी निरीक्षक (एसएसओ) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर उमाशंकर वर्मा, धीरेंद्र कुमार, मानव पटेल, मान सिंह, राजेश कुमार, राजीव, अशोक, सुनील, अजय और भागवत हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुकदमा को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

कारी घोषित कर लिया। वादी के अनुसार पांच अप्रैल 2020 को देशव्यापी लाकडाउन के दौरान फर्जी तरीके से प्रबंध समिति की बैठक दिखाकर 17 लोगों के जाली हस्ताक्षर किए गए। इसके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा जिला सहकारी बैंक में संस्थान का खाता संचालित कर लगभग 50 लाख रुपये दायराम एंड संस ट्रेडिंग फर्म को बिना किसी बिल के आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिए गए। आरोप है कि इसके अतिरिक्त उमाशंकर वर्मा ने अपने पुत्र मानव पटेल के खाते में बिना प्रबंध कार्यकारिणी की स्वीकृति के 20 लाख रुपये स्थानांतरित किए। इस दौरान 8 रिंद्र कुमार वर्मा के जिला सहकारी बैंक के नामित चेयरमैन होने का भी लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। कृष्णा चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। और 25 सितंबर 2025 को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में अदालत ने आवेदन पर सुनवाई कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस बीच उमाशंकर वर्मा ने कहा कि संस्था में कहीं कोई अनियमितता नहीं है।

एनपीए-निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में बारबीआई, बैंकों ने जताया विरोध

नई दिल्ली 11 जनवरी (एजेंसी) बैंक ऑफ बड़ोदा, आरबीएल बैंक, यस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संपर्क कर डिफॉल्टरों और एनपीए की सूची, जर्नल और निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर आरबीआई ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत इन अभिलेखों का खुलासा किया जा सकता है। आरटीआई आवेदनकर्ताओं धीरज मिश्रा, यथिराज, निरीक्षण मित्रल और राधा रामन तिवारी ने आरबीआई में अलग-अलग आवेदन देकर इस बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने यस बैंक के शीर्ष 100 एनपीए और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों, एसबीआई और आरबीएल की निरीक्षण रिपोर्ट और बैंक ऑफ बड़ोदा पर वैधानिक निरीक्षण के बाद लगे 4.34 करोड़ रुपये के मौद्रिक जुर्माने से संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियां मांगी थीं। इन बैंकों ने सीआईसी के पास अपील की, क्योंकि बैंकिंग नियामक आरबीआई ने पाया कि आरटीआई आवेदनकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जा सकती है। सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने बैंकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को सीआईसी की बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अंतिम निर्णय तक सूचना देने पर रोक लगा दी गई है।

